शोध उपाधि अध्यादेश 2023

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अधीन)

शोध एवं नवाचार निदेशालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

विश्वविद्यालय मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे (तीनपानी बाईपास)

हल्द्वानी–263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड

शोध उपाधि अध्यादेश 2023

प्रथम अध्यादेश के अध्याय 10 को प्रतिस्थापित करते हुए
(विश्वविद्यालय के अधिनियम के अध्याय 2.5(XIV), अनुच्छेद 32.2(क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2023)

(शोध परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2023 एवं विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 30 जून 2023 और कार्य परिषद की 37 वीं बैठक दिनांक 11 जुलाई 2023 में प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी)

1. **प्रारम्भिक**

(1.1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 के अनुपालन में शोध उपाधि कार्यक्रम के संचालन हेतु यह शोध उपाधि अध्यादेश 2023 है।

(1.2) विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा अपनायी गयी शोध नीति के अनुसार होंगे।

2. **पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडः–**

निम्नवत् अभ्यर्थी पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्र हैं–

(2.1) 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर उपाधि कार्यक्रम के बाद 1–वर्ष/2–सेमेस्टर स्नात्कोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा 3 वर्षीय स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद 2–वर्षीय/4–सेमेस्टर स्नात्कोत्तर उपाधि कार्यक्रम अथवा संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा स्नात्कोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित योग्यताएं, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है; अथवा एक मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता, जो किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या अधिकृत है, में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड में एक बिन्दु पैमाने पर अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जोकि किसी आंकलन एवं प्रात्यायन ऐजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अर्न्तगत स्वीकृति एवं प्रत्यायित हैं जोकि उस देश में किसी कानून के अर्न्तगत स्थापित अथवा निगमित है।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(2.2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy Layer)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों को समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है।

बशर्ते, 4–वर्षीय/8–सेमेस्टर स्नातक उपाधि कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड एक पॉइंट स्केल में जहॉ भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रिमी लेयर)/दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए समय–समय पर आयोग के निर्णय के अनुसार 5 प्रतिशत अंकों या ग्रेड में समतुल्य की छूट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2.3) एम0फिल0 पाठ्यक्रम को कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा जहॉ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहॉ बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड अथवा ऐसे प्रत्यायित विदेशी शैक्षिक संस्थानों से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो जोकि किसी ऑकलन एवं प्रत्यायन ऐजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जोकि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके ऑकलन, प्रत्यायन हेतु किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अर्न्तगत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जोकि उस देश में किसी कानून के अर्न्तगत स्थापित अथवा निगमित है, से समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यार्थी पीएच0डी0 कार्यक्रम में नामांकन के लिए पात्र होंगे।

3 पाठ्यक्रम की अवधि :

(3.1) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

(3.2) **विश्वविद्यालय अपने सांविधिक/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ष और कार्य पूर्ण न हो सकने की स्थिति में पुनः एक और वर्ष अर्थात् अधिकतम दो (02) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।**
वशर्ते कि पीएच0डी0 कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वशर्ते कि, महिला पीएच0डी0 शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले) को दो वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

सकती है, हॉलाकि, पीएच0डी0 कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामलों में पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3.3) महिला पीएच0डी0 शोधार्थियों को पीएच0डी0 कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(3.4) विशेष परिस्थितियों में समुचित कारण होने पर इसे कुलपति एक (1) वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है। वशर्ते:–

यह अवधि पूर्व वर्णित छः (6) वर्ष + दो (2)वर्ष + एक(1) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 प्रवेश हेतु प्रकिया:

(4.1) पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर पर सयुंक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) के माध्यम से पीएच0डी0 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

यूजीसी–नेट(जेआरएफ)/यूजीसी–सीएसआईआर–नेट(जेआरएफ)/गेट/शिक्षक अध्येतावृत्ति धारक **अभ्यर्थियों** को इस प्रवेश परीक्षा से छूट होगी। नेट/स्लेट/गेट उत्तीर्ण **अभ्यर्थियों** को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी।

(4.2) **विश्वविद्यालय में कार्यरत यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/जेआरएफ/पीएच0डी0 हेतु इन्सपायर फैलोसिप धारक और इसी स्तर के परीक्षाओं में अध्यतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट रहेगी। हालाकि उन्हें इस हेतु निर्धारित साक्षात्कार में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।**

(4.3) अनुच्छेद (4.2) के अर्न्तगत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुलपति अपने विशेषाधिकार से सम्बन्धित विषय एवं वर्ष के अर्न्तगत विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त आवश्यक सीटों की स्वीकृति प्रदान करेंगें। ऐसी सीटें विज्ञापित सीटों से अतिरिक्त होंगी।

(4.4) विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला देगा।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 **के अनुसार "अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए 70% तथा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन के लिए 30% अंको का महत्व दिया जायेगा।"**

(4.5) प्रवेश परीक्षा एक अर्हक परीक्षा होगी, **प्रवेश परीक्षा में** 50% अंक अर्जित करने वाले **अभ्यर्थियों** को **साक्षात्कार** हेतु बुलाये जाने के पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यविवरण में 50% शोधपद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएच0डी0 प्रवेश परीक्षा का स्वरूप यूजीसी/सीएसआईआर नेट के अनुरूप होगा। **प्रश्न–पत्र के भाग A (शोध पद्धति) 35 प्रश्न भाग B (विशिष्ट विषय) से सम्बन्धित 35 प्रश्न, पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित होगे तथा परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा।**
प्रश्नों की कठिनाई स्तर निम्नवत् निर्धारित किया जायेगा। प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न सामान्य स्तर के, 15 प्रश्न मध्यम स्तर के कठिन, 15 प्रश्न कठिन स्तर के कुल 70 प्रश्न पूछे जायेंगे तथा 30 अंकों का साक्षात्कार होगा।
प्रवेश परीक्षा पहले से ही अधिसूचित केन्द्रो (यदि केन्द्रों में कोई परिवर्तन होता है तो पर्याप्त समय पूर्व उसकी जानकारी पृथक रूप से विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी) पर होगी।

(4.6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(E.W.S) और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

(4.7) विश्वविद्यालय उपलब्ध रिक्त पीएच0डी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तय कर सकता है। पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश **यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा।**

(4.8) अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि/क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत् विभागीय शोध समिति गठित की जाएगीं। जिसके समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार किया जाएगा। यह साक्षात्कार तीन बिन्दुओं–1. अवधारणा–पत्र लेखन (10 अंक), 2. शोध अभिरूचि संबंधी प्रस्तुतीकरण (10 अंक), एवं मौखिक साक्षात्कार (10 अंक), पर आधारित होगा। अर्थात् कुल 30 अंकों का साक्षात्कार होगा।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

जे.आर.एफ. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में छूट दी जाएगी। अंतिम मेरिट सूची तैयार करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को आनुपातिक रूप से 70% के पैमाना में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अन्य अभ्यर्थियों के जैसे आयोजित की जायेगी।

(4.9) साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।

(i) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।

(ii) प्रस्तावित शोधकार्य सुलभता पूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(iii) प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

(4.10) अभ्यर्थियों के शोध रूचि क्षेत्र के परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु विधिवत समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा–

(क) समिति संयोजक संबंधित विषय का संयोजक

(ख) सदस्य सम्बन्धित विषय के अर्ह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक

(ग) विद्याशाखा के निदेशक

उक्त समिति विद्याशाखा के निदेशक के निर्देशन में प्रस्तुतिकरण तथा साक्षात्कार का संचालन करेगी, किन्तु निदेशक द्वारा साक्षात्कार में अंक नहीं दिये जायेंगे। संयोजक शाखा के निदेशक के माध्यम से साक्षात्कार समिति के विधिवत गठन हेतु माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त, साक्षात्कार का आयोजन करेंगे।

(4.11) विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पीएच0डी0 के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रखरखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यार्थी का नाम,नामांकन/पंजीकरण की तिथि/संख्या, उसके शोध का विषय, तथा पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक का विवरण आदि शामिल होंगे।

5 पंजीकरण :

(5.1) प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा काउंसलिंग के उपरान्त प्री0–पीएच0डी0 पाठ्यक्रम के लिए पीएच0डी0 कार्यक्रम प्रवेश फार्म तथा प्री–पीएच0डी कोर्स वर्क शुल्क जमा किया जाएगा। इस तिथि को पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए

निदेशक शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रवेश की तारीख (Date of admission for Ph.D Programme) माना जायेगा। प्री–पीएच0डी कोर्स वर्क के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर शोधार्थी द्वारा शोध हेतु आवेदन पंजीकरण पत्र तथा अनुसंधान हेतु वार्षिक रूप से शुल्क जमा किया जाएगा, इस तिथि को शोध पंजीकरण तिथि (Date of admission for Registration in Research work) माना जाएगा। उसके बाद अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(5.2) कोर्स वर्क की अवधि शोध कार्य की अवधि के साथ जोड़कर कुल अवधि की गणना की जायेगी। यदि किसी शोधार्थी का पीएच0डी0 कार्य से सम्बन्धित शोध–पत्र हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले शोध पत्रिका में प्रकाशित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की शोध ग्रन्थ जमा करने की अवधि को शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर कम किया जा सकता है।

(5.3) शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुर्नपंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुर्नपंजीकरण के लिए आवेदन यदि शोधार्थी के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से कम अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

(5.4) कार्यक्रम शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क एवं कोई अन्य शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विहित की जाय सम्मिलित होंगे, और सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित होंगे।

(5.5) निम्न कारणों से छात्र का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है–

(i) शुल्क का भुगतान न करने पर।
(ii) असंतोषजनक प्रगति।
(iii) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।
(iv) विहित समय सीमा के भीतर डिजर्टेशन/थीसिस प्रस्तुत न करने पर।
(V) शोधार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर। प्रकरण अनुशासन समिति को संदर्भित किया जायेगा और समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

निदेशक शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

6 **शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण–शोध पर्यवेक्षक का निर्धारणः शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय पीएच0डी0 शोधार्थियों की संख्या आदि।**

(6.1) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जिन्होंने पीएच0डी प्राप्त करने के साथ पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पॉच (5) शोध प्रकाशित किए हैं। और सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थाई संकाय सदस्य जो पीएच0डी उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन (3) शोध पत्र प्रकाशित किए गए हो उन्हें विश्वविद्यालय में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थाओं में शोंधार्थियो के शोध पर्यवेक्षक नहीं हो सकते हैं, पर वहां वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है। अगर पीएच0डी की एक उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे संकाय सदस्य की देखरेख में प्रदान की जाती है जो उस विश्वविद्यालय या उससे संबंध संस्थानों का कर्मचारी नहीं है तो इसे इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच0डी शोधार्थी जिनकी डिग्री उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाती है, ऐसे शोध संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर/ सहायक प्रोफेसर के समकक्ष हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रुप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उपरोक्त आवश्यक मापदंड को पूरा करते हैं।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई भी पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिका नहीं हैं या केवल सीमित संख्या में हैं, तो संस्थान लिखित रूप में उचित कारण दर्ज कर किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करने की छूट प्रदान कर सकता है।

(6.2) किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक के निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा शोध पर्यवेक्षक की संख्या, पर्यवेक्षकों की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके द्वारा साक्षात्कार/मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो,के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(6.4) ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी/ बहु विषयी स्वरूप के हैं, तथा जहां संबंधित विभाग यह अनुभव करता है, कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए, उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाएगा, और विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया

जाएगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

(6.5) किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर शोध पर्यवेक्षक/सह पर्यवेक्षक के रूप में आठ (08) पीएच0डी0 शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है।सह आचार्य शोध पर्यवेक्षक के रूप में अधिकतम छह (06) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम चार (04) पीएच0डी0 शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।

(6.6) विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच0डी0 महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को 3 वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण मैं नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होग। हालांकि ऐसे संकाय अपनी सेवानिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थी का पर्यवेक्षण जारी रख सकते हैं, और सेवानिवृत्ति के पश्चात सह पयवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते हैं उसके बाद नहीं।

(6.7) शोध निर्देशकों द्वारा अन्यत्र विश्वविद्यालयों में सेवायें देने तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सम्बन्धित सहायक प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक के निर्देशन में पंजीकृत/पंजीकरण हेतु प्रस्तावित शोधार्थियों को संबद्ध (alied) विषय के शोध निर्देशक के साथ संबद्ध कर लिया जाये तथा पूर्व शोध निर्देशक को सह–निर्देशक के रूप में नामित किया जाय, ताकि शोध कार्य निर्वात रूप से संचालित हो सके।

7 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश–

(7.1) प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच0डी0 शोधार्थी की अनुमति संख्या के ऊपर दो अंतराष्ट्रीय शोधार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है, जैसा कि ऊपर खंड 6.5 में निर्दिष्ट है।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(7.2) विश्वविद्यालय संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच0डी0 में दाखिले के लिए अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकते हैं।

(7.3) किसी भी समय, पीएच0डी0 छात्रों की कुल संख्या एक संकाय सदस्य के अधीन या तो पर्यवेक्षक या सह–पर्यवेक्षक के रूप में छात्रों की संख्या बिन्दु 6.5 और बिन्दु 7.1 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(7.4) अर्न्तराष्ट्रीय विद्यार्थियों को बिना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किये पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा बशर्ते ऐसे विद्यार्थी भारत सरकार द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची में शामिल हों।

8 कोर्स वर्क–क्रेडिट आवश्यकताएं संख्या अवधि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए न्यूनतम मानदंड आदि ।

(8.1) पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिसमें "शोध और प्रकाशन नैतिकता" कोर्स जैसा कि यूजीसी द्वारा डी0ओ0 मि0 संख्या 1–1/ 2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती है।

(8.2) सभी पीएच0डी शोधार्थियों को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अध्ययन विषय की परवाह किये बिना अपने चुने हुए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/ शिक्षा शास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे।पीएच0डी शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4–6 घंटे शिक्षण/ शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

(8.3) एक पीएच0डी0 शोधार्थी को पीएच0डी कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंध (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए प्री–पीएच0डी कोर्स वर्क में न्यूनतम 55 % अंक या यूजीसी 10–प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(8.4) पीएच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टरों के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

9 शोध सलाहकार समिति तथा उसके कार्यः

विश्वविद्यालय के परिनियम/अध्यादेश में परिभाषित, प्रत्येक पीएच0डी0 शोधार्थी के लिए एक शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee)होगी। शोधार्थी का पर्यवेक्षक इस समिति का संयोजक होगा।इस समिति के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे–

(9.1) शोध प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।

(9.2) शोधार्थी को अध्ययन ढांचे तथा शोध पद्धति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना तथा उसके द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की पहचान कराना।

(9.3) शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(9.4) शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9.5) शोध सलाहकार समिति द्वारा छः मासिक प्रगति रिपोर्ट शोध उपाधि समिति को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को कियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति शोधार्थी के पंजीकरण को रद्द करने के विशिष्ट कारण दर्ज कर शोध उपाधि समिति को इसकी सिफारिश कर सकती है।

शोध सलाहकार समिति का स्वरूप निम्नवत होगा–

- शोधार्थी का शोध पर्यवेक्षक– संयोजक
- सम्बन्धित विभाग के प्राध्यापक,सहप्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक जो शोध निर्देशन हेतु अर्ह हों– सदस्य

10 .शोध उपाधि समिति (Research Degree Committee)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (नैनीताल)

विश्वविद्यालय पीएच0डी0 कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ एक शोध उपाधि समिति होगी। इस समिति के निम्न उत्तरदायित्व होंगे–

(10.1)शोधार्थी के शोध शीर्षक का निर्धारण व अनुमोदन करना।

(10.2) शोधार्थी शोध उपाधि समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शोध रूपरेखा के संबंध में एक प्रस्तुति देगा तथा समिति से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(10.3)शोधार्थी के शोध कार्य की आवधिक समीक्षा करना तथा प्रगति में सहायता प्रदान करना।

(10.4)शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के लिये सिफारिश करना।

शोध उपाधि समिति का गठन निम्नवत होगा–

- कुलपति अथवा उनके नामित – अध्यक्ष
- सम्बन्धित विद्याशाखा का निदेशक– सदस्य
- सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष/शोध पर्यवेक्षक– संयोजक
- कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य विषय विशेषज्ञ– जिसमें एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सदस्य
- सम्बन्धित विद्याशाखा के प्राध्यापक – सदस्य
- निदेशक शोध– सदस्य

(10.5) पाठ्य कार्य पूर्ण करने की तिथि से छः माह के अर्न्तगत शोध उपाधि समिति (आर0डी0सी0) को अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।

11 उपाधि प्रदान करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियां, न्यूनतम मानदण्ड/क्रेडिट आदि।

(11.1) पाठयक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 9 व 7 उप धारों में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, पीएच0डी0 शोधार्थी द्वारा शोध कार्य आरंभ करना अपेक्षित होगा, तथा इन विनियमों के आधार पर विश्वविद्यालय में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित समय में एक मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस जमा करना होगा।

(11.2) शोध प्रबंध/थीसिस को जमा करने से पूर्व, पीएच0डी0 शोधार्थी शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे। शोध सलाहकार समिति से प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि/टिप्पणियॉ शोधार्थी मसौदा शोध प्रबंध/थीसिस में उपयुक्त रूप से शामिल करेगा।

(11.3) पीएच0डी0 शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंन्ध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठिया में न्यूनतम दो शोध पत्र प्रस्तुत करेगा तथा इनके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुद्रणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(11.4) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् (अथवा इसके समकक्ष निकाय) सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल–कपट का पता लगायेगी। शोध सत्यनिष्ठा पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के नियमित सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा। शोध प्रबंध/थीसिस को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरूप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां यह शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(11.5) शोधार्थी द्वारा जमा किए गए पीएच0डी0 शोध प्रबंध ग्रंथ विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन एवं टिप्पणी हेतु दो बाह्य परीक्षकों को भेजा जाएगा इस हेतु सम्बन्धित विद्याशाखा का निदेशक तथा शोध निर्देशक द्वारा संबंधित विशिष्टकरण के 5–5 बाह्य परीक्षकों की सूची शोध निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी तथा कुलपति द्वारा प्रत्येक सूची में से 1–1 विशेषज्ञों को बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जाएगा। अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद मौखिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा ली जाएगी। इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग व संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं।

(11.6) शोध प्रबंध/थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की मौखिक परीक्षा केवल उस स्थिति में ली जाएगी जब शोध प्रबंध/थीसिस/पर बाह्य परीक्षका की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिये विशिष्ट सिफारिश शामिल हो। पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मामले में बाह्य

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

परीक्षकों की कोई एक मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होन पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध/थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट भी असंतोषजनक हो तो शोध प्रबंध/थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(11.7) विश्वविद्यालय उपर्युक्त पद्धति विकसित करेगा ताकि शोध प्रबंध/थीसिस जमा करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पीएच0डी0 शोध प्रबंध के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

(11.8) शोध ग्रंथ विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन एवं टिप्पणी हेतु दो बाह्य परीक्षकों को भेजा जाएगा। शोध ग्रन्थ मूल्यांकन हेतु बाह्य परीक्षकों को नामित किये जाने हेतु शोध उपाधि समिति के संयोजक तथा संबंधित विद्याशाखा के निदेशक द्वारा विषय विशिष्टिकरण वाले पॉच–पॉच बाह्य परीक्षकों की सूची शोध निदेशालय को कुलपति के विचारार्थ उपलब्ध कराई जायेगी। कुलपति द्वारा प्रत्येक सूची में से 1–1 विशेषज्ञों को बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जाएगा।

12. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0 उपाधि का संचालन

(12.1) अंशकालिक आधार पर पीएच0डी0 पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पीएच0डी0 विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

(12.2) विश्वविद्यालय को अंशकालिक पीएच0डी0 के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, जहॉ अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो कि:

- उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।
- उसके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।
- यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।

(12.3) वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्टि किसी भी बात के बावजूद कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का शोध संस्थान दूरस्थ और/या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0 पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

13 इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व पीएच0डी0 उपाधियॉ प्रदान करना

इन विनियमों के अधिनियमन से पहले शुरू होने वाले एम0फिल0उपाधि कार्यक्रम इन विनियमों कि किसी भी बात से अप्रभावित रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए 11 जुलाई, 2009 को अथवा उसके पश्चात, इन विनियमों की अधिसूचना तक पंजीकृत हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना, यूजीसी (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनिमय, 2016,जैसा भी मामला हो इसके अलावा) पहले से पंजीकृत एवं पीएच0डी0 कर रहे उम्मीदवारों को उपाधि प्रदान करने के लिए इन विनियमों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनिमय, 2016 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। इन विनियमों के अधिनियम से पहले प्रारंभ ए0फिल0 उपाधि कार्यक्रम का इन विनियमों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने तथा विश्वविद्यालय में शोध गुणवत्ता बढ़ाने के लिए देश एवं विदेश के उच्च स्तरीय शासकीय शोध संस्थानों के साथ–साथ निजी संस्थानों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से अंतरविषयी शोध को बढ़ावा दिये जाने हेतु ऐसे इच्छुक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जा सकतें हैं।

15 इन्फलिबनेट के साथ डिपोजिटरी :

(15.1) पीएच0डी0 उपाधियों को अवार्ड करने हेतु सफलतापर्वूक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् तथा पीएच0डी0 उपाधि को प्रदान किये जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय पीएच0डी0 शोधप्रबंध की एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों तक इनकी पहुंच बनाई जा सके।

(15.2) उच्चतर शिक्षण संस्थान एम0फिल0 (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) उपाधि प्रदान नहीं करेंगे।

16 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करना:

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(16.1) उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2022 तथा शोध उपाधि अध्यादेश–2023के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की गई है।

(16.2) शोध परिषद की अनुशंसाएं विद्यापरिषद को भेजी जायेंगी।

(16.3) छात्र को पीएच.डी. की उपाधि विद्यापरिषद् के अनुमोदन से प्रदान की जायेगी।

Note:- Rules and Regulations as issued by UGC shell be applicable wherever as necessary.

निदेशक, शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)